Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

बिहार की अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. अजय कुमार
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय डिग्री महाविद्यालय बगहा (पश्चिम चंम्पारण)

सारांश

अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तब तक प्रायः मीडिया भी सचेत नहीं होती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा टी.वी. चौनल द्वारा चलाये गए 'मैं भी भारत' कार्यक्रम का जिक्र लाजिमी हो जाता है। अनुसूचित जातियों के जीवनचर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कुछ हद तक जरूर भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य के 4 आयोगों को भंग कर दिया गया है. नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग को भंग करने का फैसला लिया है।

मुख्य शब्द– अनुसूचित जाति, जीवनचर्या, जनजातीय समुदाय, महादलित आयोग।

प्रत्येक समाजों में समान्यतः दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जिसमें एक सम्पन्नधशक्तिशाली वर्ग होता है, जिसे पूंजीपति, अभिजात अथवा उच्च वर्ग कहा जा सकता है तथा दूसरा संपत्तिहीन ६ गरीब वर्ग होता है, जिसे श्रमिक, कमजोर, पिछड़ा अथवा दलित वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है। दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सदैव से ही उपेक्षित रहा है तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से कमजोर तथा शोषित रहा है। हालांकि वर्तमान समय में इस दशा में कुछ सुधार हुआ है। मोटे रूप में इस वर्ग के लक्षणों से मिलता जुलता जातीय समूह भातीय समाज में पाया जाता है तथा इसे हम अनुसूचित जातियों के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात् ए शोषण तथा उपेक्षित की धारणा व दंश जन्म आधारित व्यवस्था में होना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक हस्तांतरित होना. साथ ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर होना, जो जातियां पिछड़ी हुई थी उन्हें भारत सरकार ने चिन्हित करके एक अनुसूची में शामिल कर दिया है तथा यही कारण है कि इन जातीय समूहों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लगा।

बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य के 4 आयोगों को भंग कर दिया गया है. नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग को भंग

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने अपने स्तर पर अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है लेकिन शासन के कार्यों में और ज्यादा तब्दीली की जरुरत है। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुँच पाता है। इस रुकावट को दूर करना होगा। साथ ही अनुसूचित जातियों के प्रति मीडिया की उदासीनता को खत्म करने की दरकार है। अमूमन देखा गया है कि जब तक अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तब तक प्रायः मीडिया भी सचेत नहीं होती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा टी.वी. चौनल द्वारा चलाये गए 'मैं भी भारत' कार्यक्रम का जिक्र लाजिमी हो जाता है। अनुसूचित जातियों के जीवनचर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कुछ हद तक जरूर भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। वहीं आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशु–पालन, मुर्गी–पालन, मत्स्य–पालन, मधुमक्खी–पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिये पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है– उनका सांस्कृतिक अलगाव। लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जा सके। जनजातियों के लिये किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हों। इसमें उनकी भाषा संबंधी समस्या का भी समाधान निहित है। रही बात समाज के सदस्यों की तो सभी आम नागरिकों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे अपने हितों के साथ–साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करें। जब ऐसा होगा तभी हम सेंटिनलीज जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ सकेंगे और उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

संविधान के पन्नों को देखें तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित

जातिध्जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिये 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग–अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3ः थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी। सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अनेकानेक कारकों के बीच साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में अर्थव्यवस्था के प्रकार, नगरीकरण की गति, रहन–सहन का स्तर, स्त्रियों की हैसियत एवं जीवन मूल्य जैसे प्रतिकारक उल्लेखनीय हैं। बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 21 को महादलित की श्रेणी में शामिल किया गया है. राज्य की अनुसूचित जाति में बंतार, बौरी, भोगता, भुईया, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धनगड, (पासवान) दुसाध, कंजर, कुररियार, धारी, धारही, घासी, हलालखोर, हरि, मेहतर, भंगी और लालबेगी शामिल हैं।

अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र–छात्राओं को मेडिकल और इन्जीनियरिंग में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की पूर्ति हेतु कक्षा 9 से 12 तक चार वर्ष की रेमिडियल कोचिंग प्रदान कर उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार से शत–प्रतिशत सहायतित यह योजना उत्तराखण्ड के पौड़ी एवं नैनीताल के राजकीय इण्टर कॉलेजों मे वर्ष 1988–89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थी, जो वर्ष 1994–95 मे समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित की गई,। इस योजना का संचालन वर्तमान में जनपद पौडी में हो रहा है तथा योजना को उत्तराखण्ड के सभी जनपदों मे संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रूपये 8000–वार्षिक तथा प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं विषय विशेषज्ञों को शिक्षण हेतु रूपये 7000ध्– वार्षिक दिये जाने का प्राविधान है।

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते है और विद्यालयों को संचालित कर शिक्षा देते है, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है.

ऐसी संस्थाये जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयोंध्पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधाये देते है,उन्हें भी अनुदान दिया जाता है. अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो. आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार समतुल्य वेतन की धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है. आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासोंध्पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है

अनुमोदित तौर–तरीकों के अनुसार, राज्य सरकारोंध्केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किए गए प्रस्तावों को शुरू में टिप्पणियों के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजा जाता है। आरजीआई द्वारा सहमत प्रस्तावों को टिप्पणियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को भेजा जाता है। ऐसे प्रस्ताव जिन पर आरजीआई और एनसीएससी ने सहमति जताई है और केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, उन्हें विधेयक में शामिल किया गया है, जिसे संसद में पेश किया गया है। चूंकि अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के मद्देनजर केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इस मामले में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। जबकि परम्परागत कृषीय समाज में यह अपेक्षाकृत न्यूनतर होता है। नगरीकरण का स्तर अकेला सबसे प्रभावशाली कारक है जो इसके स्थानिक प्रारूप को किसी भी क्षेत्र में निर्धारित करता है। समाज में स्त्रियों के स्थान के अनुसार ही साक्षरता के अनुपात में अन्तर आता है। बच्चों को शिक्षित एवं साक्षर बनाने में माता के रूप में स्त्रियों की भूमिका अद्वितीय एवं अनुपम है। इसके अतिरिक्त धार्मिक विश्वासों के द्वारा नियंत्रित जीवन मूल्य लिखने, पढ़ने एवं शिक्षित होने के प्रति लोगों की प्रवृति को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष –

बिहार में अनुसूचित जाति महिलाएं जिन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति – रिवाजों, कुरितियों रूढ़ियों का पालन करते हुए, लैंगिक भेदभावों निम्न स्तरीय जीवनशैली, सामाजिक असुरक्षा, तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित है। आज भी पुरूष समाज महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को नही बदल पाया है। बिहार में अनुसूचित जाति की अधिकांश महिलाएं सफलता के लिए भाग्य को सर्वोपरी स्थान देती है।

संदर्भ सूची

- भट्टाचार्या, ए. (1978), पोपुलेशन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, श्री पब्लिशिंग हाउस, न्यू देलही, पृ. 126
- ज्ञानचंद (1944) दि प्रौब्लेम ऑफ पोपुलेशन इन इंडिया, बॉम्बे, पृ. 25
- चौहान, ए. एंड सिंह जगदीश (2012) स्पैसियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोपुलेशन इन हनुमानग त्यागी, एन. (2005) रेसिडेन्सियल इन्भायरनमेंट ऑफ दी गोरखपुर म्यूनिसिपल एरिया, जियोग्राफिकल रिभ्यू ऑफ इंडिया, पृ. 36
- इंडिया , (1997) नेशनल कमीशन फॉर शिडयूल्ड कास्ट एंड शिडयूल्ड ट्राइब्स , न्यु दिल्ली , ऐ हेन्ड बुक नई दिल्ली।
- आहुजा , राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था , रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।
- अनिरूद्ध प्रसाद –सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक सन्तुलन ,रावत पब्लिकेशन्स , जयपुर, नई दिल्ली , पृ. 47–48 5
- अम्बेडकर डॉ . भीमरावः '' अस्पृश्य कौन और क्यो '' हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
- चंदना, आर.सी. (1986) ए जियोग्राफी ऑफ पोपुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, डिटरमेनेन्ट्स एंड पैटर्न, कल्याणी पब्लिशिंग हाउस, देलही, पृ. 47
- वही, पृ. 48
- चन्द्रशेखर, एस. (1970) इंडियाज पोपुलेशन : फैक्ट्स, प्रौब्लेम्स एंड पॉलिसी, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ. 27
- डॉ0 अर्जुन दास केसरी : ''आदिवासी जीवन'' लोक रूचि प्रकाशन, राबर्ट्सगंज, पृ. 49
- वही, पृ. 50
- सोनभद्र डॉ0 हरिश्चन्द्र (1997) भारतीय जनजातियॉ, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ. 59